

**कारपोरेशन आदेश संख्या 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का पेंशन पुनरीक्षण विवरण**

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम                             | पदनाम                  | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक   |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|----------|
| 1       | श्रीमती रूकैया खातून पत्नी स्व० आफताब हुसैन                | कार्यालय सहायक-द्वितीय | लखनऊ           | 3497    | 18.04.19 |
| 2       | श्री राधेश्याम                                             | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3502    | 18.04.19 |
| 3       | श्री सनप्रकाश सिंह                                         | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3501    | 18.04.19 |
| 4       | श्री अरूण कुमार बनर्जी                                     | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3496    | 18.04.19 |
| 5       | श्रीमती नसीमा परवीन खान                                    | आशुलिपिक               | लखनऊ           | 3614    | 24.04.19 |
| 6       | श्री शिवानन्द श्रीवास्तव                                   | संगणक                  | लखनऊ           | 3668    | 26.04.19 |
| 7       | श्रीमती लल्ली देवी पत्नी स्व० राम बहाल सिंह                | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3593    | 23.04.19 |
| 8       | श्रीमती वीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव | कार्यालय अधीक्षक       | लखनऊ           | 3660    | 26.04.19 |
| 9       | श्रीमती चन्द्रावती प्रसाद पत्नी स्व० शिवानन्द प्रसाद       | अवर अभियन्ता           | अम्बेडकर नगर   | 3647    | 26.04.19 |
| 10      | श्री मो० अख्तर जिया                                        | अवर अभियन्ता           | गाजीपुर        | 3493    | 18.04.19 |
| 11      | श्री सुभाष चन्द्र शर्मा                                    | अवर अभियन्ता           | बुलन्दशहर      | 3504    | 18.04.19 |
| 12      | श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० योगेश्वर प्रसाद मिश्रा     | अवर अभियन्ता           | देवरिया        | 3507    | 18.04.19 |
| 13      | श्री राजेन्द्र बी० सैमसन                                   | अवर अभियन्ता           | झांसी          | 3492    | 18.04.19 |
| 14      | श्रीमती शरीफ जहाँ पत्नी स्व० मुनीर आलम                     | अवर अभियन्ता           | मिर्जापुर      | 3590    | 23.04.19 |
| 15      | श्रीमती राज रानी पत्नी स्व० राम सागर वर्मा                 | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3576    | 23.04.19 |
| 16      | श्रीमती मंजू सक्सेना पत्नी स्व० उमेश चन्द्र सक्सेना        | अवर अभियन्ता           | मैनपुरी        | 3591    | 23.04.19 |
| 17      | श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० अजय सिंह                      | अवर अभियन्ता           | प्रयागराज      | 3508    | 18.04.19 |
| 18      | श्री राम नारायण अग्रवाल                                    | अवर अभियन्ता           | सहारनपुर       | 2920    | 26.03.19 |
| 19      | श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी लाल             | अवर अभियन्ता           | जौनपुर         | 3332    | 10.04.19 |
| 20      | श्री श्याम नारायण राम                                      | अवर अभियन्ता           | गाजीपुर        | 3258    | 09.04.19 |
| 21      | श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी स्व० कौशल किशोर चौधरी        | अवर अभियन्ता           | बस्ती          | 3253    | 09.04.19 |
| 22      | श्री नत्थी लाल गुप्ता                                      | अवर अभियन्ता           | बुलन्दशहर      | 3252    | 09.04.19 |
| 23      | श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० लाल साहब सिंह               | अवर अभियन्ता           | मऊ             | 3149    | 04.04.19 |
| 24      | श्री बलदेव पाठक                                            | अवर अभियन्ता           | सोनभद्र        | 3392    | 15.04.19 |
| 25      | श्रीमती सलमा निगहत पत्नी स्व० शहाबुद्दीन अहमद              | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 2815    | 23.03.19 |
| 26      | श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० छिन्दा सिंह                 | अवर अभियन्ता           | मेरठ           | 3391    | 15.04.19 |
| 27      | श्रीमती निर्मला पाण्डेय पत्नी स्व० अवध नारायण पाण्डेय      | अवर अभियन्ता           | वाराणसी        | 3319    | 10.04.19 |
| 28      | श्री गोपाल दास शर्मा                                       | अवर अभियन्ता           | वाराणसी        | 3317    | 10.04.19 |
| 29      | श्री अमर बहादुर सिंह                                       | अवर अभियन्ता           | वाराणसी        | 3316    | 10.04.19 |
| 30      | श्री अमर नाथ सिंह                                          | अवर अभियन्ता           | वाराणसी        | 3315    | 10.04.19 |
| 31      | श्री कन्हैया लाल शर्मा                                     | अवर अभियन्ता           | बुलन्दशहर      | 3249    | 09.04.19 |
| 32      | श्रीमती शशीबाला पत्नी स्व० शिवशरण रस्तोगी                  | अवर अभियन्ता           | बुलन्दशहर      | 3327    | 10.04.19 |
| 33      | श्री तपेश्वर नाथ दूबे                                      | कम्प्यूटर              | आजमगढ़         | 3324    | 10.04.19 |
| 34      | श्री सत्यराम यादव                                          | अवर अभियन्ता           | आजमगढ़         | 3247    | 09.04.19 |
| 35      | श्री मनिराम सिंह                                           | अवर अभियन्ता           | मिर्जापुर      | 3318    | 10.04.19 |
| 36      | श्रीमती शकुन्तला चौरसिया पत्नी स्व० गोपाल चन्द्र चौरसिया   | अवर अभियन्ता           | जौनपुर         | 3255    | 09.04.19 |
| 37      | श्री हरीश चन्द्र पति त्रिपाठी                              | संगणक                  | देवरिया        | 3325    | 10.04.19 |
| 38      | श्रीमती शिव कुमार उर्फ रानी पत्नी स्व० मुनी जी वर्मा       | अवर अभियन्ता           | गाजीपुर        | 3254    | 09.04.19 |
| 39      | श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० परमात्मानन्द सिंह        | अवर अभियन्ता           | मऊ             | 3256    | 09.04.19 |
| 40      | श्रीमती सरला जैन पत्नी स्व० पदम सैन जैन                    | अवर अभियन्ता           | बागपत          | 3321    | 10.04.19 |
| 41      | श्री अयोध्या प्रसाद                                        | कार्यालय अधीक्षक       | बाराबंकी       | 3322    | 10.04.19 |

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम                             | पदनाम        | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक   |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|----------|
| 42      | श्रीमती जसवन्ती देवी पत्नी स्व० पीताम्बर सिंह              | अवर अभियन्ता | बिजनौर         | 3331    | 10.04.19 |
| 43      | श्री बैनी सिंह                                             | अवर अभियन्ता | सम्भल          | 3250    | 09.04.19 |
| 44      | श्री रनवीर सिंह                                            | अवर अभियन्ता | अलीगढ़         | 3248    | 09.04.19 |
| 45      | कु० अल्पना पुत्री स्व० श्रीकृष्ण नन्द                      | अवर अभियन्ता | फैजाबाद        | 3259    | 09.04.19 |
| 46      | श्रीमती कृष्ण देवी पत्नी स्व० राज सिंह राणा                | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद      | 2924    | 23.03.19 |
| 47      | श्रीमती रामबेटी शक्य पत्नी स्व० ब्रम्हनन्द                 | अवर अभियन्ता | कन्नौज         | 3320    | 10.04.19 |
| 48      | श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व० राम सेवक गुप्ता             | अवर अभियन्ता | कन्नौज         | 3263    | 09.04.19 |
| 49      | श्री बंशीधर ममगेन                                          | संगणक        | लखनऊ           | 3326    | 10.04.19 |
| 50      | श्रीमती शोभना रानी डे पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र डे           | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3330    | 10.04.19 |
| 51      | श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० कमला प्रसाद                | अवर अभियन्ता | रायबरेली       | 3328    | 10.04.19 |
| 52      | श्री गोविन्द नरायण अग्रवाल                                 | अवर अभियन्ता | कानपुर नगर     | 3365    | 11.04.19 |
| 53      | श्रीमती दयावती पत्नी स्व० मोहर सिंह                        | अवर अभियन्ता | मुरादाबाद      | 3074    | 02.04.19 |
| 54      | श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० रामनयन सिंह                 | संगणक        | प्रयागराज      | 3195    | 08.04.19 |
| 55      | श्रीमती चन्द्र रेखा मित्तल पत्नी स्व० राकेश कुमार मित्तल   | अवर अभियन्ता | मुजफ्फरनगर     | 3145    | 04.04.19 |
| 56      | श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव | अवर अभियन्ता | जौनपुर         | 3146    | 04.04.19 |
| 57      | श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व० रतन लाल शर्मा                | अवर अभियन्ता | अलीगढ़         | 3148    | 04.04.19 |
| 58      | श्री मो० मोईनुद्दीन                                        | अवर अभियन्ता | सीतापुर        | 3132    | 04.04.19 |
| 59      | कु० ज्योति सिंह पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद सिंह              | अवर अभियन्ता | जौनपुर         | 3147    | 04.04.19 |
| 60      | श्री राम कृष्ण शर्मा                                       | अवर अभियन्ता | मथुरा          | 2793    | 23.03.19 |
| 61      | श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा                                  | अवर अभियन्ता | गौतमबुद्ध नगर  | 3016    | 01.04.19 |
| 62      | सुश्री रीता राय पुत्री स्व० सम्पत्ति कुमार शर्मा           | अवर अभियन्ता | फैजाबाद        | 2922    | 26.03.19 |
| 63      | श्री वेद राम शाक्य                                         | अवर अभियन्ता | फरुखाबाद       | 2926    | 26.03.19 |
| 64      | श्रीमती शमरून निशा पत्नी स्व० जमेश आलम                     | अवर अभियन्ता | कुशीनगर        | 3210    | 08.04.19 |
| 65      | श्री रमेश कुमार                                            | अवर अभियन्ता | गोरखपुर        | 3196    | 08.04.19 |
| 66      | श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव                                 | अवर अभियन्ता | गोरखपुर        | 2923    | 26.03.19 |
| 67      | श्री राम भजन गोयल                                          | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3071    | 02.04.19 |
| 68      | श्री ज्ञान चन्द्र मिश्रा                                   | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3055    | 02.04.19 |
| 69      | श्री अखिलेश चन्द्र अग्निहोत्री                             | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3053    | 02.04.19 |
| 70      | श्रीमती मुकुल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव  | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3209    | 08.04.19 |
| 71      | श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व० नन्द लाल                         | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3211    | 08.04.19 |
| 72      | श्रीमती डेरिस मार्टिन पत्नी स्व० हैरिस मार्टिन             | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 2915    | 26.03.19 |
| 73      | श्री उमा शंकर मिश्रा                                       | अवर अभियन्ता | हरदोई          | 3201    | 08.04.19 |
| 74      | श्रीमती तंजीम जहश पत्नी स्व० सैय्यद हसन नकवी               | अवर अभियन्ता | अमरोहा         | 3077    | 02.04.19 |
| 75      | श्री लीलाधर                                                | अवर अभियन्ता | अमरोहा         | 3054    | 02.04.19 |
| 76      | श्री राम किशोर वर्मा                                       | अवर अभियन्ता | अमरोहा         | 3068    | 02.04.19 |
| 77      | श्री राम कुमार गुप्ता                                      | अवर अभियन्ता | मेरठ           | 2927    | 26.03.19 |
| 78      | श्री जीवन लाल कपूर                                         | अवर अभियन्ता | मेरठ           | 3027    | 01.04.19 |
| 79      | श्री आनन्द कुमार अग्रवाल                                   | अवर अभियन्ता | मेरठ           | 3131    | 04.04.19 |
| 80      | श्री माम चन्द्र                                            | अवर अभियन्ता | सहारनपुर       | 2919    | 26.03.19 |
| 81      | श्री रमेश चन्द्र वर्मा                                     | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद      | 3060    | 02.04.19 |
| 82      | श्री योगेन्द्र मोहन गोयल                                   | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद      | 2917    | 23.03.19 |
| 83      | श्रीमती लक्ष्मी रानी अग्रवाल पत्नी स्व० रमेश चन्द्र        | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद      | 2916    | 23.03.19 |
| 84      | श्री विनोद कुमार माहेश्वरी                                 | अवर अभियन्ता | गाजियाबाद      | 2925    | 23.03.19 |

| क्रमांक | पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम                                    | पदनाम                  | कोषागार का नाम | डिस्पैच | दिनांक   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|----------|
| 85      | श्री हरस्वरूप सिंह                                                | कार्यालय अधीक्षक-प्रथम | गाजियाबाद      | 2921    | 26.03.19 |
| 86      | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा                                        | अवर अभियन्ता           | गाजियाबाद      | 1962    | 21.02.19 |
| 87      | श्री चन्द्र पाल सिंह वर्मा                                        | अवर अभियन्ता           | गाजियाबाद      | 2918    | 23.03.19 |
| 88      | श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० प्रेम प्रकाश मिश्रा              | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3063    | 02.04.19 |
| 89      | श्री उर्मिला देवी श्रीवास्तव                                      | कार्यालय सहायक-तृतीय   | लखनऊ           | 2928    | 26.03.19 |
| 90      | श्री सैय्यद जफर हसन रिजवी                                         | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 2929    | 26.03.19 |
| 91      | श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव                                       | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 2969    | 29.03.19 |
| 92      | श्री सुधीर कुमार माथुर                                            | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3198    | 08.04.19 |
| 93      | श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बृजेश कुमार श्रीवास्तव | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3135    | 04.04.19 |
| 94      | श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी स्व० राम किशोर अरोरा                     | अवर अभियन्ता           | लखनऊ           | 3138    | 04.04.19 |
| 95      | श्रीमती तारा देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व० बी०बी०एल० श्रीवास्तव      | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3057    | 02.04.19 |
| 96      | श्री जाहिद हुसैन नकवी                                             | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3140    | 04.04.19 |
| 97      | श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव                                      | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3141    | 04.04.19 |
| 98      | श्री शंकर लाल रावत                                                | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3142    | 04.04.19 |
| 99      | श्री राम प्रकाश वर्मा                                             | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3143    | 04.04.19 |
| 100     | श्री अकीलुर्रहमान                                                 | अवर अभियन्ता           | कानपुर         | 3062    | 02.04.19 |



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3497/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5245/13-14

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रुकैया खातून पत्नी स्व० आफताब हुसैन, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रुकैया खातून पत्नी स्व० आफताब हुसैन, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-द्वितीय की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | 4977 दिनांक 18.11.2013 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 01.07.1953             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती रुकैया खातून   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 01.01.1954             |
2. सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि
 

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | 30.06.2013/20.01.2016(मृत्यु)    |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600         |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600         |
| (घ) वेतन                         | 31880/—                          |
| (ङ) मूल पेंशन                    | लागू नहीं                        |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | लागू नहीं                        |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | लागू नहीं                        |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | 15940/— दि० 30.06.2020 तक        |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 9564/— दि० 01.07.2020 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 40 छमाही                         |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |         |
|--------------------|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | 82600/— |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | 41300/—                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 26550/—                           |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | लागू नहीं                         |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | लागू नहीं                         |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | लागू नहीं                         |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | 41300/— दि० 30.06.2020 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | 24780/— दि० 01.07.2020 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | लागू नहीं                         |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (छ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3497/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5245/13-14

दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3. श्रीमती रुकैया खातून पत्नी स्व० आफताब हुसैन, सी०नि० कार्यालय सहायक-द्वितीय, निवासी-पो० सी०मैप, 207, ग्राम-बोस, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

(हस्ताक्षर)

पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3502/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5070/12-13

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**विषय:—** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राधेश्याम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :—

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                  |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 4797 दिनांक 24.01.2013     |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.10.1951                 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | अंकित नहीं                 |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                 |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.10.2011                 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 5400   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 5400   |
| (घ) वेतन                         | : | 30960 /—                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15480 /—                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6072 /—                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9408 /—                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 15480 /— दि० 14.10.2018 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9288 /—                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                   |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:—**

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200 /— |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:—**

|                                                                                                        |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 40100 /—                 |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /—                 |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 40100 /—                 |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 6072 /—                  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 34028 /—                 |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 40100 /— दि० 14.10.18 तक |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 24060 /—                 |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3502/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5070/12-13 दिनांक: 18.04.2019  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- अधिकांसी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्री राधेश्याम, से०नि० अवर अभियन्ता, म०न० ग०२१५, रविन्द्र नगर, तेलीबाग, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3501/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5210/13-14

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सनप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सनप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4942 दिनांक 26.07.2013           |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.04.1953                       |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती आमा सिंह                 |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                       |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.04.2013                       |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600         |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600         |
| (घ) वेतन                         | : | 31550/-                          |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15775/-                          |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6310/-                           |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9465/-                           |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 15775/- दि० 02.04.2018 तक        |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9465/- दि० 04.04.2018 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                         |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 41300/-                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-                           |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 41300/-                           |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6310/-                            |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 34990/-                           |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 41300/- दि० 02.04.2020 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 24780/- दि० 03.04.2020 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                         |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3501/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5210/13-14 दिनांक: 18.04.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री सनप्रकाश सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, म०-१०: सी०-104, राजाजीपुरम, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

**कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।**

संख्या: 3496/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4809/11-12

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार बनर्जी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार बनर्जी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                       |   |                        |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                   | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक        | : | 4529 दिनांक 30.09.2011 |
| (ग) जन्मतिथि                          | : | 09.07.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम           | : | श्रीमती संख्या बनर्जी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि      | : | 29.10.1954             |
| <b>2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि</b> | : | 31.07.2005             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान               | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)        | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                              | : | 20000 /--              |
| (ङ) मूल पेंशन                         | : | 14091 /--              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग              | : | 3743 /--               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन      | : | 10348 /--              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर        | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर      | : | 9000 /--               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा         | : | 62 छगाही               |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित**

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100 /-- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 65335 /-- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 /-- |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550 /-- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3743 /--  |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | 41730 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3496/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4809/11-12 दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्री अरुण कुमार बनर्जी, से०नि० अवर अभियन्ता, 561/58, सिद्धनगर कानपुर रोड, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3614/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5219/13-14

दिनांक: 24.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 2385 दिनांक 07.12.2018 को निरस्त करते हुए।**

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती नसीमा परवीन खान, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती नसीमा परवीन खान, सेवानिवृत्त आशुलिपिक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                      |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                            |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4954 दिनांक 17.08.2013               |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 16.06.1953                           |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्री शमीम अहमद खान                   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.03.1947                           |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2013                           |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | छँटवा वेतनमान                        |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600            |
| (घ) वेतन                         | : | 33360+6600=39960/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 19980/-                              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7992/-                               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 11988/-                              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | 19980/- दिनांक 16.06.2018 तक         |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 11988/- दिनांक 17.06.2018 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                             |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 105600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 52800/-                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 33850/-                           |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 52800/-                           |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 7992/-                            |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 44808/-                           |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | 52800/- दि० 15.06.2020 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 31680/- दि० 16.06.2020 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                         |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3614/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5219/13-14

दिनांक: 24.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- श्रीमती नसीमा परवीन खान, से०नि० आशुलिपिक, निवासी-11बी, अल्कापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3668/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/625/97-98

दिनांक: 26.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री शिवानन्द श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री शिवानन्द श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                             |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                   |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 717 दिनांक 03.03.98         |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 29.06.39                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 08.02.44                    |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.97                    |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500                  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500                  |
| (घ) वेतन                         | : | 10200/-                     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5070/-                      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1614/-                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3456/-                      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/-                      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                    |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                                                                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| (क) पैमेटिक्स                                                                                          | : | 09           |
| (ख) निर्धारित वेतन                                                                                     | : | 63300/-      |
| 4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-                                      |   |              |
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 31650/-      |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं    |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-      |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 31650/-      |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | पुनर्स्थापित |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | 18990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3668/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/625/97-98 दिनांक: 26.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

3. श्री शिवानन्द श्रीवास्तव, सं०नि० संगणक, निवासी-म०न०-एफ-3333, आलमनगर, निकट चमन मस्जिद, राजाजीपुरम, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

**कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।**

संख्या:3593/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/486/01-02

दिनांक: 23.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लल्ली देवी पत्नी स्व० राम बहाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लल्ली देवी पत्नी स्व० राम बहाल सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 513 दिनांक 08.08.2001 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | अंकित नहीं            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती लल्ली देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 02.01.1997 मृत्यु     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500            |
| (घ) वेतन                         | : | 10200/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63300/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 18990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या:3593/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/486/01-02

दिनांक: 23.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

3. श्रीमती लल्ली देवी पत्नी स्व० राम बहाल सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सी०/ओ०-आर०के०सिंह, 18/02, महात्मा गांधी मार्ग, कैंट, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3660/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/465/96-97

दिनांक: 26.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती वीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती वीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 552 दिनांक 30.01.1997          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.09.1938                     |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती वीना श्रीवास्तव        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 18.12.1947                     |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.09.1996 / 15.12.2004 मृत्यु |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6000-10400                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6000-10400                     |
| (घ) वेतन                         | : | 9800/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                      |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2940/-                         |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                       |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 6 सी    |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 59000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 17700/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3660/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/465/96-97

दिनांक: 26.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्रीमती वीना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव, सं०नि० कार्यालय अधीक्षक, निवासी-5, श्याम कुंज, खुर्रम नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3647/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1865/04-05

दिनांक: 26.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

अम्बेडकर नगर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्रावती प्रसाद पत्नी स्व० शिवानन्द प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्रावती प्रसाद पत्नी स्व० शिवानन्द प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2001 दिनांक 20.10.2004          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 06.08.1945                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती चन्द्रावती प्रसाद       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                      |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.2003 / 17.08.2012(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000                     |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3647/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1865/04-05

दिनांक: 26.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

3. श्रीमती चन्द्रावती प्रसाद पत्नी स्व० शिवानन्द प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मो०-आर्शीवाद उद्यान खण्ड, रायबरेली रोड, एल०डी०को० कालोनी, क्वाटर नं०-बी० 892, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3493/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6158/14-15

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजीपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० अख्तर जिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० अख्तर जिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5198 दिनांक 15.09.2014   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.03.1951               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती बिलकिस सिद्दीकी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.03.1962               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 28.02.2011               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 31240 /--                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15620 /--                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 15620 /--                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9372 /--                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 9         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600 /-- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 41300 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /-- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगन्ध होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 41300 /-- |

|                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                             | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                               | : | 24780 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                               | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3493/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6158/14-15 दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गाजीपुर।
3. श्री मो० अख्तर जिया, से०नि० अवर अभियन्ता, मो० कपूरपुर, पोस्ट-गाजीपुर सिटी, जिला-गाजीपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3504/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5082/12-13

दिनांक: 18.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 4803 दिनांक 07.02.2013 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.01.1952             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विजयशानी शर्मा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नहीं              |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2012  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रेड पे० 6600  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रेड पे० 6600  
 (घ) वेतन : 33380 /--  
 (ङ) मूल पेंशन : 16690 /--  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6132 /--  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10558 /--  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16690 /-- दि० 14.01.19 तक  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10014 /-- दि० 15.01.19 से अग्रेतर  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 9  
 (ख) निर्धारित वेतन : 87700 /--
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850 /--  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550 /--  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850 /--  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6132 /--  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 37718 /--  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850 /-- दि० 14.01.19 तक  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310 /-- दि० 15.01.19 से अग्रेतर  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3504/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5082/12-13 दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बुलन्दशहर।
3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, एल०आई०जी० 355, आवास विकास कालोनी, बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर से००४४८८ इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छाटा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3507 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5177 / 13-14

दिनांक: 18.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
देवरिया।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० योगेश्वर प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० योगेश्वर प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार               | : | पारिवारिक पेंशन                     |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक    | : | 5457 दिनांक 26.09.2015              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम       | : | श्रीमती सरस्वती देवी                |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | : | 01.06.1952                          |
| 2. (क) सेवानिवृत्ति / मृत्यु तिथि | : | 31.01.2013                          |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान           | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600            |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600            |
| (घ) वेतन                          | : | 34390 / -                           |
| (ङ) मूल पेंशन                     | : | लागू नहीं                           |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग          | : | लागू नहीं                           |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | : | लागू नहीं                           |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर    | : | 17195 / - दि० 28.01.2020 तक         |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | : | 10317 / - दि० 29.01.2020 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा     | : | 40 छमाही                            |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित**

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 90300 / - |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                        |   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 45150 / -                |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 / -                |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 45150 / -                |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं                |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं                |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 45150 / - दि० 28.01.2020 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 27090 / -                |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3507 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5177 / 13-14

दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया।
3. श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व० योगेश्वर प्रसाद मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, 1/348, गुरुकुल भवन, मिखमपुर रोड, देवरिया।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3492/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1736/04-05

दिनांक: 18.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
झांसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र बी० सैमसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र बी० सैमसन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1816 दिनांक 03.06.2004 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 27.11.1944             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती आईलीन सैमसन    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 13.02.1943             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.11.2002             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बेड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 /--              |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 10000 /--              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3014 /--               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6986 /--               |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000 /--               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| (क) पेंसैटिक्स     | : | 13         |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100 /-- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550 /-- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 /-- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 69550 /-- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3014 /--  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 66536 /-- |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730 /-- |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3492/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1736/04-05 दिनांक: 18.04.2019  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, देब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, झांसी।

3. श्री राजेन्द्र बी० सैमसन, से०नि० अवर अभियन्ता, ग०न० 654 किश्चयन इण्टर कालेज, आहाता, भोकरबाग, सिविल लाइन झांसी।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3590/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/831/99-2000

दिनांक: 23.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मिर्जापुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शरीफ जहां पत्नी स्व० मुनीर आलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शरीफ जहां पत्नी स्व० मुनीर आलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 942 दिनांक 10.08.1999         |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 07.06.1940                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शरीफ जहां             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 20.02.1945                    |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.6.1998 / 27.03.2015 मृत्यु |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500                    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 8550-13500                    |
| (घ) वेतन                         | : | 10750/-                       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3225/-                        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                      |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 67000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 20160/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या:3590/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/831/99-2000

दिनांक: 23.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।

3. श्रीमती शरीफ जहां पत्नी स्व० मुनीर आलम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मु०-बृजराजकटरा, निकट-टाउन हाल मिर्जापुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3576/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/398/01-02

दिनांक: 23.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

कानपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती राज रानी पत्नी स्व० राम सागर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती राज रानी पत्नी स्व० राम सागर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 467 दिनांक 25.06.2001 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.11.1943            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती राज रानी      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 03.01.1998(मृत्यु)    |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500            |
| (घ) वेतन                         | : | 10200/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3060/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 49 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 63300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 18990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3576/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/389/01-02 दिनांक: 23.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पनकी ता० वि० गृह, उत्पादन निगम लि०, पनकी कानपुर।
- श्रीमती राज रानी पत्नी स्व० राम सागर वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-7/32, पनकी पावर हाउस कालोनी, पनकी कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या:3591/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/361/2000-01

दिनांक: 23.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

मैनपुरी

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती मंजू सक्सेना पत्नी स्व० उमेश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती मंजू सक्सेना पत्नी स्व० उमेश चन्द्र सक्सेना, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 395 दिनांक 09.04.2001        |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 17.08.1942                   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मंजू सक्सेना         |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.07.1951                   |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु           | : | 31.08.2000/01.03.2016 मृत्यु |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000                  |
| (घ) वेतन                         | : | 19550/-                      |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5865/-                       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                     |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या:3591/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/361/2000-01  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 23.04.19

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मैनपुरी।

3. श्रीमती मंजू सक्सेना पत्नी स्व० उमेश चन्द्र सक्सेना, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कालीचरन सक्सेना रोड, निकट-रेलवे स्टेशन, मैनपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3508/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/139/94-95

दिनांक: 18.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० अजय सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० अजय सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 136 दिनांक 29.11.1994 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती गंगा देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| 2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि  | : | 22.09.1991 (मृत्यु)   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000             |
| (घ) वेतन                         | : | 2675/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 594/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 33 छमाही              |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 58000/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 17400/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3508/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/174/94-95

दिनांक: 18.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
3. श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व० अजय सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, एम०आई०जी०-73, एल०डी०ए० कालोनी इलाहाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

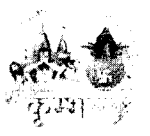
पंजीकृत--  
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2920 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6220 / 14-15

दिनांक: 26.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5260 दिनांक 12.12.2014   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.07.1951               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सन्तोष अग्रवाल   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 03.07.1954               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2011               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 31580/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15790/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6316/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9474/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9474/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 41300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 41300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6316/-    |

|                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 34984/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                             | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                               | : | 24780/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                               | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2920 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 6220 / 14-15

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, सहारनपुर।
3. श्री राम नारायण अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-52 कानून गोयान, देवबन्द, सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम नारायण अग्रवाल  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--  
पंजीकृत--



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3332/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2330/05-06

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
जौनपुर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व० कृष्ण मुरारी लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2550 दिनांक 01.12.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.01.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती यशोदा देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 12.02.2003(मृत्यु)     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3332/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2330/05-06

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
3. श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व० श्री कृष्ण मुरारी लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 61-ए, चांदमारी कन्हईपुर, पोस्ट-मुरादगंज, जौनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3258/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5178/13-14

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजीपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री श्याम नारायण राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री श्याम नारायण राम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : 4922 दिनांक 29.06.2013 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 01.01.1953             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती फूलमती         |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : अंकित नहीं             |
2.
 

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : 31.12.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : 33770/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : 16885/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : 6754/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : 10131/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : 16885/-                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 10131/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : 40 छमाही                 |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| (क) पैमैटिक्स      | : 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : 87700/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : 43850/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : 43850/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : 6754/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : 37096/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : 43850/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : 26310/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3258/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5178/13-14 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।
3. श्री श्याम नारायण राम, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-धर्मपुरा, पो०-गौसपुर, थाना-मुहम्मदाबाद, जि०-गाजीपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3253/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5106/12-13

दिनांक: 09.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,  
बस्ती।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी स्व० कौशल किशोर चौधरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी स्व० कौशल किशोर चौधरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4833 दिनांक 19.03.2013           |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.01.1952                       |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती इन्द्रावती देवी          |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                       |
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 03.11.2011 मृत्यु                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400         |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400         |
| (घ) वेतन                         | : | 30970/-                          |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                        |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                        |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                        |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | 15485/- दि० 02.11.2017 तक        |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9291/- दि० 03.11.2017 से अग्रेतर |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                         |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं                         |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं                         |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं                         |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं                         |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं                         |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | 40100/- दि० 02.11.2021 तक         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 24060/- दि० 03.11.2021 से अग्रेतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                         |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3253/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5106/12-13

दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती।

3. श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी स्व० कौशल किशोर चौधरी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-जखमी लाइनपार सदर, बस्ती।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

पंजीकृत-  
पंजीकृत-





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3252/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6171/14-15

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नत्थी लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नत्थी लाल गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                             |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                   |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5216 दिनांक 04.10.2014      |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 14.10.1953                  |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                  |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.10.2013                  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पी० 6600    |
| (घ) वेतन                         | : | 32540/-                     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 16270/-                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6508/-                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9762/-                      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 16270/-                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9672/-                      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                    |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 85100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 42550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 42550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 6508/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 36042/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 42550/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 25530/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3252/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6171/14-15 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
- श्री नत्थी लाल गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-510, खन्नावली गली, कृष्णा नगर, बुलन्दशहर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3149/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4163/07-08

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० लाल साहब सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० लाल साहब सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3538 दिनांक 02.05.2008          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.07.1946                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुशीला सिंह             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 07.10.1950                      |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2004 / 22.09.2004(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000                     |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 58 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3149/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4163/07-08  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.04.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।

3. श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० लाल साहब सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, यूनिनय बैंक ऑफ इण्डिया, नई बौध कैम्पस, सहादतगंज मऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज, ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3392/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1200/03-04

दिनांक: 15.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सोनमद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री बलदेव पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री बलदेव पाठक, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 1248 दिनांक 03.05.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 05.01.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती दुलारी देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.01.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 10650-15200            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 10650-15200            |
| (घ) वेतन                         | : | 11950/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5757/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2020/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3737/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3585/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 65 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 76200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 38100/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 37523/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 33850/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 37523/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2020/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 35503/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22860/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3392/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1200/03-04 दिनांक: 15.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत सयन्त्र खण्ड, उ0प्र0रा0वि०उ0नि०लि०, ओबरा-सोनमद्र।
3. श्री बलदेव पाठक, से०नि० अवर अभियन्ता, 18/419 खिदनी गेट अलीगढ़।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2815/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/652/01-02

दिनांक: 23.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सलमा निगहत पत्नी स्व० शहाबुद्दीन अहमद, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सलमा निगहत पत्नी स्व० शहाबुद्दीन, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पीपी0ओ0 संख्या एवं दिनांक    | : | 690 दिनांक 07.02.2002 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 26.07.1941            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सलमा निगहत    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 26.07.1947            |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 10.06.1996            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | पंचम वेतनमान          |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-11000            |
| (घ) वेतन                         | : | 9300/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2790/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं             |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 8       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 56900/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 17070/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2815/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/652/01-02 दिनांक: 23.03.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. श्रीमती सलमा निगहत पत्नी स्व० शहाबुद्दीन अहमद, अवर अभियन्ता, ग०-ग० 474/14 ख नजदीक मदेयगंज पुलिस चौकी, सीतापुर रोड लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3391/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6863/92-93

दिनांक: 15.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० छिद्दा सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० छिद्दा सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 8930 दिनांक 07.07.1992 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 10.01.1952             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शान्ती देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.01.1952             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 17.10.1988(मृत्यु)     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000              |
| (घ) वेतन                         | : | 2900/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 600/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 45 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 61500/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 30750/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 18450/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3391/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6863/92-93

दिनांक: 15.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मुरादाबाद।
3. श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० छिद्दा सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, 521/2 जागृति विहार मेरठ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3319/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2935/06-07

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

वाराणसी।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती निर्मला पाण्डेय पत्नी स्व० अवध नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती निर्मला पाण्डेय पत्नी स्व० अवध नारायण पाण्डेय, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 3167 दिनांक 22.02.2007        |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 20.07.1948                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती निर्मला पाण्डेय       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | अंकित नहीं                    |
| 2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि | : | 31.07.2006/05.09.2014(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)    | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900     |
| (घ) वेतन                           | : | 55210/-                       |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर      | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 16563/-                       |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 40 छमाही                      |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 143300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 42990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3319/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2935/06-07

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सिगरा।

3. श्रीमती निर्मला पाण्डेय पत्नी स्व० अवध नारायण पाण्डेय, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-शिव नगर कालोनी, चितईपुर कन्डवा रोड, वाराणसी।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3317/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/354/2000-01

दिनांक: 10.4.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
वाराणसी।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोपाल दास शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोपाल दास शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 371 दिनांक 17.02.2001    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 22.03.1941               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती राज कुमारी शर्मा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 05.06.1943               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.03.1999               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000              |
| (घ) वेतन                         | : | 17300/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4548/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1663/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2885/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5190/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 55 छमाही                 |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित**

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 131100/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 65550/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 54625/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1663/-  |

|                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 63887/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                             | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                               | : | 39330/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                               | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3317/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/354/2000-01 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री गोपाल दास शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-डी-58/16, ओ० अशोक नगर, सिगरा, वाराणसी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -  
पंजीकृत -

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3316/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6023/13-14

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अमर बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अमर बहादुर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 5089 दिनांक 25.03.2014   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 21.07.1949               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती पार्वती देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2009               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 26310/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13155/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 5262/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7893/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7893/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 34600/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 34600/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 5262/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 29338/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 20760/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3316/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6023/13-14 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
3. श्री अमर बहादुर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-चिउरापुर, बडागाव, वाराणसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3315/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4015/07-08

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अमर नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अमर नाथ सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 3361 दिनांक 05.09.2007 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.05.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शीला देवी      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.04.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 10000/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3040/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6960/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3040/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 66510/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3315/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4015/07-08 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

3. श्री अमर नाथ सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एस0-9/929, बी0-3ए, शिकरा बाजार चुकरपुर कालोनी, वाराणसी।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3249/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/550/01-02

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री कन्हैया लाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री कन्हैया लाल शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 596 दिनांक 23.10.2001 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.08.1939            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | अंकित नहीं            |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.1997            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000           |
| (घ) वेतन                         | : | 18200/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8988/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2747/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6241/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2747/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 64753/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3249/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/550/01-02 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
3. श्री कन्हैया लाल शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-79, घास मंडी, जहागीराबाद, जि०-बुलन्दशहर
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3327 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 305 / 2000-01

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

बुलन्दशहर।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शशीबाला पत्नी स्व० शिवशरण रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शशीबाला पत्नी स्व० शिवशरण रस्तोगी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 394 दिनांक 09.04.2001 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 25.07.1946            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शशीबाला       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 20.06.1958            |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 28.06.1989            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 1850-9400             |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैड(ग्रेड पे) | : | 1850-9400             |
| (घ) वेतन                         | : | 1900 / -              |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 450 / -               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 35 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पेंमैटिक्स     | : | 6 बी      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 41400 / - |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 12420 / - |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3327 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 305 / 2000-01  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 10.04.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बुलन्दशहर।
3. श्रीमती शशीबाला पत्नी स्व० शिवशरण रस्तोगी, सं०नि० अवर अभियन्ता, 726 / 27, कृष्णा नगर, बुलन्दशहर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3324/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/530/97-98

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
आजमगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री तपेश्वर नाथ दूबे, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री तपेश्वर नाथ दूबे, सेवानिवृत्त कम्प्यूटर की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | 618 दिनांक 14.07.1997 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 02.06.1938            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती सुशीला दूबे   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 02.04.1942            |
2.
 

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | 30.06.1996 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | 8550-13500 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | 8550-13500 |
| (घ) वेतन                         | 9925/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | 4836/-     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | 1924/-     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 2912/-     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 2978/-     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 66 छमाही   |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |         |
|--------------------|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | 61500/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)                                                  | 30750/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | 30750/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | 1924/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | 28826/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | 18450/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3324/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/530/97-98 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्री तपेश्वर नाथ दूबे, से०नि० कम्प्यूटर, निवासी-39/02, विवेका नन्द मार्ग, गुलामी का पुरा, आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3247 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 7037 / 18-19

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
आजमगढ़।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सत्यराम यादव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 6143 दिनांक 01.12.2018   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 05.01.1948               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती चन्द्रकली        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.01.2006               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 30650/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15325/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6130/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9195/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9195/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 80200/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 40100/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 40100/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6130/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 33970/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 24060/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3247 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 7037 / 18-19 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, आजमगढ़।
3. श्री सत्यराम यादव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-उसरी, पो०-सौनापार, जि०-आजमगढ़।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3318/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6457/15-16

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मिर्जापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मनिराम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मनिराम सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | 5515 दिनांक 09.12.2015 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 01.07.1955             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती राम नगीना      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 09.02.1952             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2015  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे0पे0 6600  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे0पे0 6600  
 (घ) वेतन : 34800/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 17400/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 6960/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10440/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 17400/- दि० 30.06.2020 तक  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10440/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पैमेटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 90300/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 45150/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 45150/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 6960/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 38190/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 45150/- दि० 30.06.2020 तक  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 27090/- दि० 01.07.2020 से अग्रेतर  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो को भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3318/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6457/15-16 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मिर्जापुर।
3. श्री मनिराम सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम-लठिया कला, पो०-शिकारगंज, वाराणसी।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3255/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/183/95-96

दिनांक: 09.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

जौनपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शकुन्तला चौरसिया पत्नी स्व० गोपाल चन्द्र चौरसिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शकुन्तला चौरसिया पत्नी स्व० गोपाल चन्द्र चौरसिया, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन          |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 204 दिनांक 25.04.1995    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 05.01.1944               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शकुन्तला चौरसिया |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 08.07.1952               |

2. (क) मृत्यु तिथि

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000 |
| (घ) वेतन                         | : | 3875/-    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 652/-     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | लागू नहीं |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3255/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/183/95-96

दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।

3. श्रीमती शकुन्तला चौरसिया पत्नी स्व० गोपाल चन्द्र चौरसिया, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-अहियापुर, पो०-सहर, जि०-जौनपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3325/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2400/05-06

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र पति त्रिपाठी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरीश चन्द्र पति त्रिपाठी, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2737 दिनांक 27.04.2006   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 24.07.1946               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती गायत्री त्रिपाठी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
2.
 

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2004              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000             |
| (घ) वेतन                         | : | 20000 + 10000 = 30000/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13410/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3762/-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9650/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 59 छमाही                |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | 62174/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3762/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 61788/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3325/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2400/05-06 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, देवरिया।
3. श्री हरीश चन्द्र पति त्रिपाठी, सं०नि० संगणक, निवासी-ग्रा० व पो०-अमरिया, जि०-गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3254/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1927/04-05

दिनांक: 09.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,  
गाजीपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शिव कुमारी ऊर्फ रानी पत्नी स्व० मुनी जी वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शिव कुमारी ऊर्फ रानी पत्नी स्व० मुनी जी वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 2454 दिनांक 25.08.2005        |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 05.10.1941                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती शिव कुमारी ऊर्फ रानी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | लागू नहीं                     |
| 2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि | : | 31.10.1999/22.11.2001(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | 8550-13500                    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)     | : | 8550-13500                    |
| (घ) वेतन                           | : | 9100/-                        |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर      | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 2730/-                        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 55 छमाही                      |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 58000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 17400/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3254/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1927/04-05

दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गाजीपुर।
3. श्रीमती शिव कुमारी ऊर्फ रानी पत्नी स्व० मुनी जी वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-कस्बा, जमनिया, मो०-निआजी, जि०-गाजीपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3256/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/352/2000-01

दिनांक: 09.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,  
मऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० परमात्मानन्द सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० परमात्मानन्द सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1214 दिनांक 08.04.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.04.1950             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती दुर्गावती सिंह |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.04.1950             |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 09.05.1997             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-10000             |
| (घ) वेतन                         | : | 10100/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3030/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 45 छमाही               |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 08      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 62200/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 18660/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3256/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/352/2000-01  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 09.04.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मऊ।

3. श्रीमती दुर्गावती सिंह पत्नी स्व० परमात्मानन्द सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथमंजन, मऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3321/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2951/06-07

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

बागपत।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सरला जैन पत्नी स्व० पदम सैन जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सरला जैन पत्नी स्व० पदम सैन जैन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3187 दिनांक 09.03.2007 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 05.07.1942             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सरला जैन       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 09.07.1947             |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 29.06.2006             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 18200/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 56 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3321/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2951/06-07

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत।

3. श्रीमती सरला जैन पत्नी स्व० पदम सैन जैन, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-मेसर्स न्यू कश्मीरी सलैक्शन, निकट नेहस मूर्ति के पास घंटा बाजार बडौत।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3322/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4551/10-11

दिनांक: 10.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
बाराबंकी।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अयोध्या प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अयोध्या प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4167 दिनांक 07.05.2010 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 17.04.1941             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती श्याम सुन्दरी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.06.1945             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.04.1999             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500             |
| (घ) वेतन                         | : | 12125/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5939/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2375/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3564/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3638/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 73400/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 36700/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 36700/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2375/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 34325/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22020/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3322/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4551/10-11 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी।
3. श्री अयोध्या प्रसाद, से०नि० कार्यालय अधीक्षक, निवासी-979, कानून गोयान, बाराबंकी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3331/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2395/05-06

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
 जिला कोषागार,  
 बिजनौर।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती जसवन्ती देवी पत्नी स्व० पीताम्बर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती जसवन्ती देवी पत्नी स्व० पीताम्बर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2609 दिनांक 10.01.2006          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.12.1945                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती जसवन्ती देवी            |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                      |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 30.11.2003 / 10.05.2009(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000                     |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 64 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3331/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2395/05-06

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर।
3. श्रीमती जसवन्ती देवी पत्नी स्व० पीताम्बर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, वसुन्धरा विहार, अवास विकास के पीछे बिजनौर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3250/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/557/97-98

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सम्भल।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री बैनी सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री बैनी सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 733 दिनांक 03.04.1998 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 14.07.1937            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शारदा देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 12.09.1948            |

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.1995 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 1650-2690  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 1650-2690  |
| (घ) वेतन                         | : | 2690/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 1381/-     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 460/-      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 921/-      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 564/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही   |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 06      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 52400/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 26200/-                           |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 18400/-                           |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 26200/-                           |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं                         |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 26200/-                           |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं                         |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 15720/-                           |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | 5240/- दि० 13.07.17 से 20 प्रतिशत |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3250/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/557/97-98 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौसी, मुरादाबाद।
3. श्री बैनी सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा०-चितौरा, पो०-राजपुर, काया बहजोई, मुरादाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3248/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/693/98-99

दिनांक: 09.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रनवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रनवीर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 803 दिनांक 15.10.1998 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 29.01.1936            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विद्यावती     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.07.1942            |
  2.
 

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.1994 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 3400-4750  |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 3400-4750  |
| (घ) वेतन                         | : | 4125/-     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 2239/-     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 746/-      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 1493/-     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 693/-      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 64 छमाही   |
  3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 76200/- |
  4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                          |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 38100/-               |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 36946/-               |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 33850/-               |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 36946/-               |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं             |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 36946/-               |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22860/-               |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | 7389/- (20%) अतिरिक्त |
  5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3248/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/693/98-99 दिनांक: 09.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, विद्युत भुगतार एवं लेखा खण्ड, पो० कासिमपुर अलीगढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, कासिमपुर अलीगढ़।
4. श्री रनवीर सिंह, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्राम व पो०-पाली, रजापुर, अलीगढ़।
5. राधिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3259/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/301/2000-01

दिनांक: 09.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,  
फैजाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत कु० अल्पना पुत्री स्व० श्रीकृष्ण नन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत कु० अल्पना पुत्री स्व० श्रीकृष्ण नन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5534 दिनांक 08.01.2016 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.01.1986             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | कु० अल्पना             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.01.1986             |

2. (क) मृत्यु तिथि

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 5300-9100 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 5300-9100 |
| (घ) वेतन                         | : | 9625/-    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3865/-    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 61 छमाही  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 6 ए     |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 57300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 17190/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: /मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/301/2000-01

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. कु० अल्पना पुत्री स्व० श्रीकृष्ण नन्द, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बेगमगंज मकबरा, फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2924 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4656 / 10-11

दिनांक: 23.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गाजियाबाद।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत कृष्णा देवी पत्नी स्व० राज सिंह राणा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत कृष्णा देवी पत्नी स्व० राज सिंह राणा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार               | : | पारिवारिक पेंशन                  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक    | : | 4273 दिनांक 21.12.2010           |
| (ग) जन्मतिथि                      | : | 25.06.1949                       |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम       | : | श्रीमती कृष्णा देवी              |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि  | : | 16.01.1955                       |
| 2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि  | : | 30.06.2009 / 06.09.2012 (मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान           | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400         |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड(ग्रेड पे) | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400         |
| (घ) वेतन                          | : | 29440 / -                        |
| (ङ) मूल पेंशन                     | : | लागू नहीं                        |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग          | : | लागू नहीं                        |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन  | : | लागू नहीं                        |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर    | : | लागू नहीं                        |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर  | : | 8832 / -                         |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा     | : | 40 छमाही                         |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 77900 / - |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं                                 |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं                                 |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं                                 |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं                                 |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं                                 |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं                                 |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 38950 / - दि०-01.01.2016 से 24.06.2016 तक |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 23370 / - दि०-25.06.2016 से अग्रतर        |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं                                 |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2924 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4656 / 10-11

दिनांक: 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोदीनगर।
3. कृष्णा देवी पत्नी स्व० राज सिंह राणा, सी०नो अवर अभियन्ता, निवासी: ग्र०-खिरौडा, पो०-अमनिया, सराय मेरठ, ए-70, पटेल नगर, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

पंजीकृत  
पंजीकृत



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3320/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2135/04-05

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

कन्नौज।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती रामबेटी शक्य पत्नी स्व० ब्रम्हानन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती रामबेटी शक्य पत्नी स्व० ब्रम्हानन्द, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2379 दिनांक 15.07.2005         |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.10.1946                     |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रामबेटी शक्य           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                     |
| (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि     | : | 31.10.2004/21.10.2005 (मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000                    |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                        |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं                      |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                         |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 65 छमाही                       |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3320/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2135/04-05

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज।

3. श्रीमती रामबेटी शक्य पत्नी स्व० ब्रम्हानन्द, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्रा० व पो०-बहवलपुर, छिपरामऊ, कन्नौज।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3263/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6169/14-15

दिनांक: 09.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कन्नौज

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व० राम सेवक गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व० राम सेवक गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5217 दिनांक 04.10.2014 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1961             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुधा गुप्ता    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.07.1961             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 8550-13500             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 11300/-                |
| (घ) वेतन                         | : | लागू नहीं              |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5085/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 20760/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3263/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6169/14-15  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 09.04.2019

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज।
3. श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व० राम सेवक गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी- 127/293, जूही गढ़ा, कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3326/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/791/02-03

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री बंशीधर ममगेन, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री बंशीधर ममगेन, सेवानिवृत्त संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 862 दिनांक 21.06.2002 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 08.01.1944            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुशीला देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं            |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2002            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-11000            |
| (घ) वेतन                         | : | 10500/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5250/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2080/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3170/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3150/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 08      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 64100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 32050/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 32050/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2080/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 29970/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 19230/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3326/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/791/02-03 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री बंशीधर ममगेन, से०नि० संगणक, निवासी-म०न०-3/193, से०-03, विकास नगर, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

व्यक्तिगत पेंशन (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3330/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/362/96-97

दिनांक: 10.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शोभना रानी डे पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र डे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शोभना रानी डे पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र डे, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                    |   |                                 |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 464 दिनांक 21.05.1996           |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 28.06.1936                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती शोभना रानी डे           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | 15.04.1941                      |
| 2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि | : | 30.06.1994 / 18.06.2002(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | 2600-4000                       |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)    | : | 2600-4000                       |
| (घ) वेतन                           | : | 4250/-                          |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर      | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 714/-                           |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 66 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 77900/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |

|                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                              | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                               | : | 23370/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                               | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3330/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/362/96-97

दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई।

3. श्रीमती शोभना रानी डे पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र डे, से०नि० अवर अभियन्ता, बी०-216, आवास विकास कालोनी, जिला-हरदोई।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3328/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4678/10-11

दिनांक: 10.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
रायबरेली।

पंजीकृत

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० कमला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० कमला प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण  
(क) पेंशन का प्रकार : पारिवारिक पेंशन  
(ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक : 580 दिनांक 05.04.1997  
(ग) जन्मतिथि : 15.09.1947  
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम : श्रीमती निर्मला देवी  
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि : 03.04.1953
  2. (क) मृत्यु तिथि : 09.02.1995  
(ख) तत्समय लागू वेतनमान : 2600-4000  
(ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 2600-4000  
(घ) वेतन : 3500/-  
(ङ) मूल पेंशन : लागू नहीं  
(च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं  
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं  
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं  
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 600/-  
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : -
  3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
(क) पेमेंटिक्स : 9  
(ख) निर्धारित वेतन : 69200/-
  4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं  
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
(ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं  
(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं  
(ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं  
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं  
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं  
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 20760/-  
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
  5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3328/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/473/96-97 दिनांक: 10.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम रायबरेली।

3. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० कमला प्रसाद, से०नि० अवर अभियन्ता, मार्फत श्री बूचोले प्रसाद 3/9 पी०डब्ल्यू०डी० कालोनी दूरभाष नगर, रायबरेली।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: /मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2085/04-05

दिनांक:

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर नगर।

**सन्दर्भ:- पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या 1131 दिनांक 29.01.2019 को निरस्त करते हुए।**

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : 2163 दिनांक 20.04.2005    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 21.09.1946                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती बीना अग्रवाल      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : 10.10.1950                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : 30.09.2004                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : 16400-20000               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                         | : 20000/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : 7600/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : 3040/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : 4560/-                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : 7600/-                    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : 4560/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : 66 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |            |
|--------------------|------------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : -         |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : 3040/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : 65254/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : 69550/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3365/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2085/04-05 दिनांक: 11.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम कानपुर।
3. श्री गोविन्द नारायण अग्रवाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 1/95ए विनीत खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3074/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5266/13-14

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

मुरादाबाद।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती दयावती पत्नी स्व० मोहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती दयावती पत्नी स्व० मोहर सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन          |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5014 दिनांक 27.12.2013   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.01.1957               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती दयावती           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 06.11.2009(मृत्यु)       |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (घ) वेतन                         | : | 19040/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 9520/- दि० 05.11.2019 तक |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5712/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विद्विषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 06(सी)  |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 49400/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                        |   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 24700/-                          |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं                        |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 18400/-                          |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं                        |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं                        |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं                        |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 24700/- दि० 05.11.2019 तक        |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 14820/- दि० 06.11.2019 से अग्रतर |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं                        |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3074/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5266/13-14

दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुरादाबाद।

3. श्रीमती दयावती पत्नी स्व० मोहर सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, ग०न० 207 ग्राम बांसली पोस्ट-पीपली कला तहसील-धनौरा, जिला-ज्योति फूले नगर उ०प्र०।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज, ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम दहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3195/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1803/04-05

दिनांक: 08.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
प्रयागराज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० रामनयन सिंह, से०नि० संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० रामनयन सिंह, से०नि० संगणक की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1909 दिनांक 31.07.2004        |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 30.07.1945                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुशीला सिंह           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 09.08.1952                    |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2003/01.12.2006(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500                    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 8550-13500                    |
| (घ) वेतन                         | : | 11300/-                       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3390/-                        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                      |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 20760/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3195/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1803/04-05  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 08.04.19

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, प्रयागराज।
- श्रीमती सुशीला सिंह पत्नी स्व० रामनयन सिंह, से०नि० संगणक सुभाष नगर ममफोर्डगंज प्रयागराज।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3145/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2676/06-07

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मुजफ्फरनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्र रेखा मित्तल पत्नी स्व० राकेश कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्र रेखा मित्तल पत्नी स्व० राकेश कुमार मित्तल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2895 दिनांक 27.07.2006          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 22.08.1947                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती चन्द्र रेखा मित्तल      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 19.09.1955                      |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 31.08.2005 / 27.04.2006(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 10650-15200                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 15600-39100                     |
| (घ) वेतन                         | : | 14875/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6694 /-                         |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 11       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 88400 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 26520 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3145/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2676/06-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।

3. श्रीमती चन्द्र रेखा मित्तल पत्नी स्व० राकेश कुमार मित्तल, से०नि० अवर अभियन्ता, द्वारा गदन गोपाल गुप्ता, गली न० 1 आनन्द वन निकट, गोला कुटी हरीपुर कला रायवाला, रिशिकेश, देहरादून।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3146/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1247/03-04

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
जौनपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                               |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन               |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1313 दिनांक 26.06.2003        |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.01.1945                    |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 22.07.1953                    |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2003/09.01.2016(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                   |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000                   |
| (घ) वेतन                         | : | 18200/-                       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                     |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5460/-                        |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही                      |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० --- दिनांक --- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3146/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1247/03-04

दिनांक: 04.04.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।
3. श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, से०गि० अवर अभियन्ता, 5-बी-7 ओबरा सोनभद्र।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3148/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2454/05-06

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व० रतन लाल वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व० रतन लाल वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2659 दिनांक 28.02.2006          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1947                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मोहनी देवी              |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                      |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2005 / 13.06.2015(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 8550-13500                      |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 8550-13500                      |
| (घ) वेतन                         | : | 11850/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5333/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 9       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3148/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2454/05-06

दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, कासिमपुर, अलीगढ़।

3. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व० रतन लाल वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट, शहरी मदन गढ़ी, अलीगढ़।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3132/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2390/04-05

दिनांक: 04.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

सीतापुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री मो० मोईनुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री मो० मोईनुद्दीन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है:-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2591 दिनांक 31.12.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सलमा बानो      |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 30.12.1953             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.06.2005             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 19100/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14252/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8595/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 67500/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3132/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2390/04-05 दिनांक: 04.04.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम सीतापुर।
3. श्री मो० मोईनुद्दीन, से०नि० अवर अभियन्ता, टी एण्ड सी खण्ड, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत -  
पंजीकृत -

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3147 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4081 / 07-08

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
जौनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत कु० ज्योति सिंह पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत कु० ज्योति सिंह पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5352 दिनांक 18.05.2015 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 02.04.1949             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती ज्योति सिंह    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 09.09.1993             |
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 03.12.2005             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नही               |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नही               |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नही               |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नही               |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नही |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नही |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नही |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नही |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नही |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नही |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नही |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नही |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3147 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4081 / 07-08  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.04.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, जौनपुर।

3. कु० ज्योति सिंह पुत्री स्व० जगदीश प्रसाद सिंह, से०नि० अवर अभियन्ता, कन्हईपुर लाइन बजार जौनपुर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2793/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4952/12-13

दिनांक: 23.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मथुरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम कृष्ण शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम कृष्ण शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4662 दिनांक 27.06.2012   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 16.11.1950               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शशी शर्मा        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.08.1956               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.11.2010               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 28580/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14290/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 5716/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 8574/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8574/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 75600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 37800/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 37800/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 5716/-    |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) | : | 32084/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)  | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)  | : | 22680/-   |
|                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2793/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4952/12-13 दिनांक: 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मथुरा।

3. श्री राम कृष्ण शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-गोपाल कुटी, छगन पुरा, कोतवाली रोड, मथुरा।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
राम लाल

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3016/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1405/03-04

दिनांक: 01.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गौतमबुद्ध नगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1565 दिनांक 20.12.2003 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.09.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रेणू वर्मा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9546/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2808/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6738/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 63 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 66389/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 66389/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2808/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 63581/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3016/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1459/03-04 दिनांक: 01.04.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम नोएडा।
3. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 4/155 कृष्णा कालोनी, भिवानी हरियाणा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

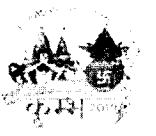
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ

पंजीकृत-  
पंजीकृत-





# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2922/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/176/94-95

दिनांक: 26.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

पंजीकृत

जिला कोषागार,

फैजाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत सुश्री रीता राय पुत्री स्व० सम्पत्ति कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत सुश्री रीता राय पुत्री स्व० सम्पत्ति कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 6119 दिनांक 15.10.2018         |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.12.1933                     |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रीता राय               |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.06.1965                     |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 30.11.1991/19.10.2016 (मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000                      |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 2600-4000                      |
| (घ) वेतन                         | : | 3625/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                      |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                      |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                      |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 612/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                       |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2922/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/176/94-95

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फैजाबाद।
3. सुश्री रीता राय पुत्री स्व० सम्पत्ति कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-488, फेज-1, अवधपुरी कालोनी, अमानीगंज, फैजाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2926/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6502/15-16

दिनांक: 26.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
फरुखाबाद।

विषय:— कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री वेद राम शाक्य, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री वेद राम शाक्य, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :—

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 5566 दिनांक 07.05.2016   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.01.1955               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुशीला           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 13.03.1968               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.01.2015               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 35840 /—                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17920 /—                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7168 /—                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10752 /—                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 17920 /—                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10752 /—                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० — दिनांक — द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:—

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 93000 /— |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:—

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 46500 /—  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /—  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 46500 /—  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 7168 /—   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 39332 /—  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | 46500 /—  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 27900 /—  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2926/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6502/15-16  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

दिनांक: 26.03.2019

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फरुखाबाद।
- श्री वेद राम शाक्य, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-निकट पम्प नं०-2, ई०डब्ल्यू०एस०, 1/475, आवास विकास, फरुखाबाद।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत—  
पंजीकृत—

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3210/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4325/09-10

दिनांक: 08.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कुशीनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती शमरुन निशा पत्नी स्व० जमशेद आलम, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती शमरुन निशा पत्नी स्व० जमशेद आलम, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3933 दिनांक 02.06.2009 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शमरुन निशा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 13.07.1988             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 1850-2930              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 1850-2930              |
| (घ) वेतन                         | : | 2180/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं              |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं              |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं              |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 450/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 27 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदोषित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 06(बी)  |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 46600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 13980/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3210/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4325/09-10  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 08.04.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कसया, कुशीनगर।
3. श्रीमती शमरुन निशा पत्नी स्व० जमेश आलम, अवर अभियन्ता, म०न० 40 लाईन-8, मौ० सिविल लाइन, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर  
मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3196/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4921/12-13

दिनांक: 08.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पीपी0ओ0 संख्या एवं दिनांक    | : | 4635 दिनांक 19.05.2012    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 06.06.1948                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सावित्री देवी     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.06.1953                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2006                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 37400-67000 ग्रे0पे0 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 37400-67000 ग्रे0पे0 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 55210/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 27605/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6976/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20629/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 16563/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 143300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 71650/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 71650/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 6976/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 64674/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 42990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3196/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4921/12-13  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 08.04.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।

3. श्री रमेश कुमार, से0नि0 अवर अभियन्ता, एच0आई0जी0-43-राप्ती नगर, पोस्ट-चरगांव, गोरखपुर।

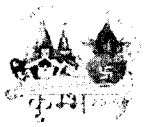
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2923/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2846/06-07

दिनांक: 26.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3067 दिनांक 28.11.2006    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.07.1948                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती नीलम श्रीवास्तव   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2006                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 55210/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 27605/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7186/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 20419/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 16563/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 143300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 71650/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 71650/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 7186/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 64464/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 42990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2923/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2846/06-07

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, गोरखपुर।
3. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-एच०आई०जी०-74, शास्त्री पुरम, गोरखनाथ, गोरखपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3071/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4584/10-11

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री राम भजन गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री राम भजन गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4199 दिनांक 22.07.2010   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.06.1948               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मीना गोयल        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 03.06.1948               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2006               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (घ) वेतन                         | : | 17970/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8985/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3510/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 5475/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5391/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 06(सी)  |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 46600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)                                                  | : | 23300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 18400/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 23300/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 3510/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 19790/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 13980/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3071/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4584/10-11 दिनांक: 02.04.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, हरदोई।
- श्री राम भजन गोयल, सं०नि० अवर अभियन्ता, श्रवण देवी तिराहा, सरकुलर रोड हरदोई।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3055/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6389/15-16

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री ज्ञान चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री ज्ञान चन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता            |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 5445 दिनांक 10.09.15 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 29.08.1953           |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | अकित नही             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नही             |
  - |                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.08.2013               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 34750/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17375/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6950/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10425/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नही                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नही                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |
  - दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 90300/- |
  - प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 45150/-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नही |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 45150/-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 6950/-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 38200/-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नही |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | लागू नही |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नही |
  - कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3055/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6389/15-16 दिनांक: 02.04.19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, हरदोई।
- श्री ज्ञान चन्द्र मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, 318, सराय थोक पश्चिमी, हरदोई।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम महादूर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3053/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2701/05-06

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अखिलेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अखिलेश चन्द्र अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2923 दिनांक 18.08.2006   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 28.02.1948               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती ऊषा अग्निहोत्री  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 28.02.2006               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 26420/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13210/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2934/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10276/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 7926/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 69200/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 34600/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 34600/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2934/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 31666/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 20760/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3053/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2701/05-06 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम हरदोई।
- श्री अखिलेश चन्द्र अग्निहोत्री, से०नि० अवर अभियन्ता, 104, मो० आलू थोक हरदोई।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम दहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ





# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3209/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/939/99-2000

दिनांक: 08.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

हरदोई।

पंजीकृत

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती मुकुल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती मुकुल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन          |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 16 दिनांक 14.02.2000     |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 09.11.1951               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मुकुल श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 25.08.1960               |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 14.03.1996(मृत्यु)       |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 1650-2690                |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 1650-2690                |
| (घ) वेतन                         | : | 7850 /-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2355 /-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 46 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 06       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 49400 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                    | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 14820 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3209/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/939/99-2000

दिनांक: 08.04.19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम हरदोई।

3. श्रीमती मुकुल श्रीवास्तव पत्नी स्व० अनिल कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, म०न० 44, आलू थोक हरदोई।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3211/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/524/01-02

दिनांक: 08.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व० नन्द लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व० नन्द लाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : पारिवारिक पेंशनर       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : 2231 दिनांक 06.06.2005 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : 01.07.1943             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : श्रीमती सरोजनी         |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : 01.01.1953             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 30.06.2001/06.09.2007(मृत्यु)  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 16400-20000  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे) : 16400-20000  
 (घ) वेतन : 18200/-  
 (ङ) मूल पेंशन : लागू नहीं  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 5460/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 13  
 (ख) निर्धारित वेतन : 135000/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 40500/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3211/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/524/01-02 दिनांक: 08.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, हरदोई।
3. श्रीमती सरोजनी पत्नी स्व० नन्द लाल, से०नि० अवर अभियन्ता, 8-111-41, ओबरा सोनमद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम नारायण

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2915/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/264/95-96

दिनांक: 26.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

हरदोई।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती डौरिस मार्टिन पत्नी स्व० हैरिस मार्टिन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती डौरिस मार्टिन पत्नी स्व० हैरिस मार्टिन, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 359 दिनांक 12.12.1995 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.01.1949            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती डौरिस मार्टिन |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 11.01.1949            |
| 2. (क) मृत्यु तिथि               | : | 31.01.1993 मृत्यु     |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000             |
| (घ) वेतन                         | : | 2675/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं             |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं             |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं             |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 594/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 58000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 17400/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2915/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/264/95-96

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई।

3. श्रीमती डौरिस मार्टिन पत्नी स्व० हैरिस मार्टिन, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-10, नुगाईश पुरवा, पो० आफिस हरदोई, जिला- हरदोई, उ०प्र०।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

पंजीकृत--  
पंजीकृत--



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3201/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/270/2000-01

दिनांक: 08.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
हरदोई।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री उमा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री उमा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 327 दिनांक 23.01.2001      |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 13.01.1938                 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विशुना देवी मिश्रा |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 16.11.1939                 |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.1996                 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 10650-15200                |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 10650-15200                |
| (घ) वेतन                         | : | 11950/-                    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 5724/-                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2289/-                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 3435/-                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 3585/-                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                   |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 76200/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 38100/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 33850/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 38100/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2289/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 35811/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22860/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3201/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/270/2000-01 दिनांक: 08.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई।
3. श्री उमा शंकर मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम व पोस्ट-पारा, जिला-हरदोई।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम महादुर  
मुख्य अभियन्ता (पेंशन)  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3077/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1634/03-04

दिनांक: 02.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

अमरोहा।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती तंजीम जहरा नकवी पत्नी स्व० सैय्यद हसन नकवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

- उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती तंजीम जहरा नकवी पत्नी स्व० सैय्यद हसन नकवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-
1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                         |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन         |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1800 दिनांक 24.05.2004  |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 12.08.1944              |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती तंजीम जहरा नकवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.03.1945              |
  2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि : 31.08.2002/04.01.2005(मृत्यु)  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 8550-13500  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 8550-13500  
 (घ) वेतन : 12950/-  
 (ङ) मूल पेंशन : लागू नहीं  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 3885/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 66 छमाही
  3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पैमेटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 77900/-
  4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : लागू नहीं  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : लागू नहीं  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : लागू नहीं  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : लागू नहीं  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 23370/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
  5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3077/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1634/03-04

दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अमरोहा।

3. श्रीमती तंजीम जहरा पत्नी स्व० सैय्यद हसन नकवी, सं०नि० अवर अभियन्ता, मो० कटुकुई, इमामबाड़ा अमरोहा, जे०पी० नगर, ज्योतिबाफूले नगर।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज, ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

*(हस्ताक्षर)*

राज बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3054/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/663/01-02

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अमरोहा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री लीलाधर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री लीलाधर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता             |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 760 दिनांक 15.04.2002 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.07.1941            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | लागू नहीं             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | लागू नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.1999            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 6500-11000            |
| (घ) वेतन                         | : | 9700/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4850/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1940/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2910/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | लागू नहीं             |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 08      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 60400/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 30200/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 30200/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 1940/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 28260/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3054/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/663/01-02 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
3. श्री लीलाधर, से०नि० अवर अभियन्ता, मौ० सुबोध नगर अमरोहा, ज्योतिबाफूले नगर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3068/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1831/04-05

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
अमरोहा।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम किशोर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम किशोर वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता                       |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | 2011 दिनांक 09.11.2004          |
| (ग) जन्मतिथि                     | 03.07.1945                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती सुधा रानी वर्मा(दिवंगत) |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | लागू नहीं                       |
2.
 

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | 31.07.2003                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | 10650-15200               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | 15600-39100 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | 12600/-                   |
| (ङ) मूल पेंशन                    | 4675/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | 1870/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | 2805/-                    |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 3780/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 50 छमाही                  |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |         |
|--------------------|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | 78500/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | 39250/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | 29735/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | 33850/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | 33850/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | 1870/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | 31980/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3068/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/1831/04-05 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, अमरोहा।
3. श्री राम किशोर वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, मो० कटरा गुलाम अली, नई बस्ती, अमरोहा।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

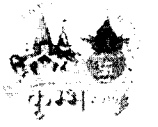
लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2927 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2543 / 05-06

दिनांक: 26.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2752 दिनांक 05.05.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.02.1938             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शशी गुप्ता     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 02.05.1949             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 29.02.1996             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-1000              |
| (घ) वेतन                         | : | 9900/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4320/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1728/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2592/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2970/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 08      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 60400/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 30200/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 28370/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 28370/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1728/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 26642/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 18120/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

मबदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2927 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2543 / 05-06

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
- श्री राम कुमार गुप्ता, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-8, मोहन पुरी कालोनी, मेरठ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-

पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3027 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1748 / 04-05

दिनांक: 01.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जीवन लाल कपूर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जीवन लाल कपूर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1892 दिनांक 28.07.2004 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.08.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती विमलेश कपूर    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.01.1951             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.08.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 14550 /-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 7194 /-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2877 /-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4317 /-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4365 /-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550 /-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550 /-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 69550 /-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2877 /-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 66673 /-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3027 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 1748 / 04-05  
प्रतिस्तिथि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 01.04.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।

3. श्री जीवन लाल कपूर, सं०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-सीव०-26, शास्त्री नगर, मेरठ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3131/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2480/05-06

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 2740 दिनांक 01.05.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 08.05.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती रेखा           |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 01.07.1954             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.05.2005             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14545/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 4034/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10511/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 64 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 67443/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लागू हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)      | : | 67443/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 4034/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 63409/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3131/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2480/05-06 दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मेरठ।
3. श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, से0नि0 अवर अभियन्ता, 156, प्रभात नगर मेरठ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राख लहाय

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2919/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/896/99-2000

दिनांक: 26.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री माम चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री माम चन्द्र, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिदर्षता             |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 995 दिनांक 28.10.1999 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.07.1941            |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शान्ती देवी   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 12.06.1948            |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.1999            |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000           |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-               |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9325/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2780/-                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6545/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं             |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही              |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2780/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 64720/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

दिनांक: 26.03.2019

संख्या: 2919/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/896/99-2000  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर।
3. श्री माम चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्र०-घसौती, पो०-रामपुर मनिहारन, जिला-सहारनपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--  
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मु-  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3060/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2189/04-05

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2389 दिनांक 22.07.1905 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.07.1945             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सन्तोष वर्मा   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 07.01.1956             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2003             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 8485/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2314/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 6171/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6000/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 56 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 59013/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2314/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 63236/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3060/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2189/04-05 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, गाजियाबाद।
3. श्री रमेश चन्द्र वर्मा, सं०नि० अवर अभियन्ता, सेक्टर-14-ए, म०न० 708 वसुन्धरा गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

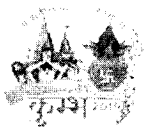
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2917/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3096/07-08

दिनांक: 23.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गाजियाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र मोहन गोयल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री योगेन्द्र मोहन गोयल, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 3345 दिनांक 17.08.2007 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 07.08.1947             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शशी            |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं             |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.08.2005             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000            |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000            |
| (घ) वेतन                         | : | 19100/-                |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13890/-                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3618/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10272/-                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8595/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 64 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 67500/- |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 65455/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/- |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 65550/- |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3618/-  |

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) | : | 61932/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | लागू नहीं |
| (झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)   | : | 40500/-   |
| (ञ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)   | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2917/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3096/07-08

दिनांक: 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।

3. श्री योगेन्द्र मोहन गोयल, से0नि0 अवर अभियन्ता, निवासी-390/181, ब्रह्मपुरी, जय पाल भट्टे वाले के पास, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2916/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/895/99-2000

दिनांक: 23.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी रानी अग्रवाल पत्नी स्व० रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती लक्ष्मी रानी अग्रवाल पत्नी स्व० रमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

- पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 1000 दिनांक 03.11.1999       |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | अंकित नहीं                   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती लक्ष्मी रानी अग्रवाल |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                   |
- |                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| (क) मृत्यु तिथि                  | : | 26.07.1994 मृत्यु   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 2600-4000           |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 2600-4000           |
| (घ) वेतन                         | : | 4000 + 480 = 4480/- |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं           |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं           |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं           |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं           |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 672/-               |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 47 छमाही            |
- दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-
 

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 73400/- |
- प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-
 

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22020/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |
- कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2916/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/895/99-2000  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 23.03.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।

3. श्रीमती लक्ष्मी रानी अग्रवाल पत्नी स्व० रमेश चन्द्र, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-132 के०बी० सबस्टेशन निवासी रोड, मोदीनगर, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

पंजीकृत-

पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2925/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2801/06-07

दिनांक: 23.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार माहेश्वरी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार माहेश्वरी, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                             |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                   |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 3075 दिनांक 28.11.2006      |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 25.05.1948                  |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती बीना रानी महेश्वरी। |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अंकित नहीं                  |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.05.2006                  |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400    |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400    |
| (घ) वेतन                         | : | 26930/-                     |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13465/-                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3090/-                      |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10375/-                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8079/-                      |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                    |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 35650/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 35650/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3090/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 32560/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2925/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2801/06-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 23.03.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मोदीनगर।
3. श्री विनोद कुमार माहेश्वरी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-बेगमाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**



कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2921/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2552/06-07

दिनांक: 26.03.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री हरस्वरूप सिंह, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री हरस्वरूप सिंह, सेवानिवृत्त, कार्यालय अधीक्षक-प्रथम की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2978 दिनांक 19.09.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 01.11.1943             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती ऊषा रानी       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 25.11.1955             |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.10.2001             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-11000             |
| (घ) वेतन                         | : | 9700/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4850/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1880/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2970/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2910/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 8       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 60400/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 30200/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 30200/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1880/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 28320/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 18120/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2921/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2552/06-07

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।
3. श्री हरस्वरूप सिंह, से०नि० कार्यालय अधीक्षक-प्रथम, निवासी-ग्र०-जलालपुर, पो०-मुरादनगर, जिला-गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--  
पंजीकृत--

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**  
 कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 1962/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4830/11-12

दिनांक: 21.02.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                  |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4553 दिनांक 26.11.2011     |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 17.02.1951                 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शकुन्तला शर्मा     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 11.05.1953                 |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 28.02.2011                 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | (9300-34800 ग्रे०पी० 5400) |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | (9300-34800 ग्रे०पी० 5400) |
| (घ) वेतन                         | : | 31240/-                    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 15620/-                    |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6132/-                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9488/-                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर    | : | लागू नही                   |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9372/-                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                   |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 82600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 41300/-    |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नही/- |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-    |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 41300/-    |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6132/-     |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 35168/-    |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)                                                                      | : | लागू नही   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 24780/-    |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नही   |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 1962/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4830/11-12  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 21.02.19

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम गाजियाबाद।

3. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, आर०-31 वकील कालोनी, सेक्टर-12, प्रताप बिहार, गाजियाबाद।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

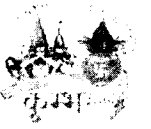
हस्ताक्षर



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2918/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2730/06-07

दिनांक: 23.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

जिला कोषागार,

गाजियाबाद।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री चन्द्र पाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री चन्द्र पाल सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2944 दिनांक 31.08.2006 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 10.01.1946             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती शान्ती देवी    |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | अकित नहीं              |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2004             |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 6500-11000             |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 6500-11000             |
| (घ) वेतन                         | : | 9500/-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 4463/-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 1785/-                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 2678/-                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं              |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 2850/-                 |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही               |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 08      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 58600/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 29300/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | 27525/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 23800/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 27525/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 1785/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 15740/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 17580/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2918/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2730/06-07

दिनांक: 23.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मोदीनगर।
3. श्री चन्द्र पाल सिंह वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-ग्र० व पो०-अबुपुर, जि०-गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

काय  
शक्ति भवन



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

**कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।**

संख्या: 3063/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3098/07-08

दिनांक: 02.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार,

लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० प्रेम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० प्रेम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. **पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | पारिवारिक पेंशन        |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | 3335 दिनांक 13.08.2007 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 15.06.1948             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | श्रीमती शकुन्तला देवी  |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | 08.03.1951             |
2. **सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | 30.06.2006 / 21.04.2008(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900       |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | 37400-67000 ग्रे०पे० 8900       |
| (घ) वेतन                         | 55210/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | 16563/-                         |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | 63 छमाही                        |
3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | 143300/- |
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | 42990/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | लागू नहीं |
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3063/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/3098/07-08

दिनांक: 02.04.19

प्रतिस्लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीमनगर, लखनऊ।
3. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व० प्रेम प्रकाश मिश्रा, से०नि० अवर अभियन्ता, श्रीराम नगर कालोनी भवन से 67 वरखेरथ लखीमपुर-खीरी।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी-पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2928 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5027 / 12-13

दिनांक: 26.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री उर्मिला देवी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-तृतीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री उर्मिला देवी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, कार्यालय सहायक-तृतीय की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                         |   |                          |
|-----------------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                     | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक          | : | 4751 दिनांक 03.11.2012   |
| (ग) जन्मतिथि                            | : | 03.06.1952               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम             | : | अंकित नहीं               |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि        | : | अंकित नहीं               |
| <b>2. (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि</b> | : | 30.06.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान                 | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड(ग्रेड पे)       | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 4200 |
| (घ) वेतन                                | : | 17290 / -                |
| (ङ) मूल पेंशन                           | : | 8645 / -                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग                | : | 3458 / -                 |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन        | : | 5187 / -                 |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर          | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर        | : | लागू नहीं                |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा           | : | 40 छमाही                 |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 6 (के)    |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 45200 / - |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 22600 / - |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 18400 / - |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 22600 / - |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3458 / -  |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 19142 / - |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | लागू नहीं |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

दिनांक: 26.03.2019

संख्या 2928 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 5027 / 12-13  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्री उर्मिला देवी श्रीवास्तव, से०नि० कार्यालय सहायक-तृतीय, निवासी-म०न०-84 / 376 कटरा, मकबूलगंज, लखनऊ।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।



संख्या: 2929/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5249/13-14

दिनांक: 26.03.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री सैय्यद जफर हसन रिजवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री सैय्यद जफर हसन रिजवी, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता              |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4979 दिनांक 22.11.2013 |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 07.03.1953             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती निशात फातिमा   |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.01.1968             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.03.2013  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे०पे० 6600  
 (घ) वेतन : 33770/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 16885/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : लागू नहीं  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : 16885/-  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : 10131/-  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पैमैटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 87700/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 43850/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 43850/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : लागू नहीं  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 43850/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : 43850/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : 26310/-  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 2929/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5249/13-14

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री सैय्यद जफर हसन रिजवी, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-467/67/02, शीशमहल किकेट हाउस, हुसैनाबाद, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 2969/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6525/15-16

दिनांक: 29.03.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण
 

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | अधिवर्षता              |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | 5572 दिनांक 10.05.2016 |
| (ग) जन्मतिथि                     | 10.01.1956             |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | अंकित नहीं             |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | अंकित नहीं             |
2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि : 31.01.2016  
 (ख) तत्समय लागू वेतनमान : 9300-34800 ग्रे0पे0 6600  
 (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे) : 9300-34800 ग्रे0पे0 6600  
 (घ) वेतन : 36190/-  
 (ङ) मूल पेंशन : 18095/-  
 (च) पेंशन का राशिकृत भाग : 7238/-  
 (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन : 10857/-  
 (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर : लागू नहीं  
 (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर : लागू नहीं  
 (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा : 40 छमाही
3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-  
 (क) पेमेंटिक्स : 09  
 (ख) निर्धारित वेतन : 95800/-
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-  
 (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%) : 47900/-  
 (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में : लागू नहीं  
 (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन : 26550/-  
 (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) : 47900/-  
 (ङ) राशिकृत पेंशन : 7238/-  
 (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये : 40662/-  
 (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) : लागू नहीं  
 (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर) : लागू नहीं  
 (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) : लागू नहीं
5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 2969/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6525/15-16 दिनांक: 29.03.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई पेंशन सेल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, से०नि० अवर अभियन्ता, निवासी-365/51, मो० गंज, बावली पुलिस चौकी, के पीछे, सहादतगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3198/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/501/01-02

दिनांक: 08.04.19

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री सुधीर कुमार माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री सुधीर कुमार माथुर, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                            |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                  |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 535 दिनांक 25.08.2001      |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 20.04.1943                 |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती प्रीति माथुर       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.08.1950                 |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.04.2001                 |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000                |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 37400-67000 ग्रेड पे0 8900 |
| (घ) वेतन                         | : | 20000/-                    |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 6697/-                     |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2678/-                     |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 4019/-                     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 4365/-                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 62 छमाही                   |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित

रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                  | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                     | : | 65534/-   |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैटिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व) | : | 65550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                      | : | 2678/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये       | : | 62872/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                   | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                     | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                     | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3198/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/501/01-02

दिनांक: 08.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय निर्माण खण्ड-तृतीय लेसा, लखनऊ।
3. श्री सुधीर कुमार माथुर, से०नि० अवर अभियन्ता, 384-बी शिप्रासन सिटी इन्द्रापुरम गाजियाबाद।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राय बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3135/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/697/01-02

दिनांक: 04.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बृजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बृजेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                        |   |                                 |
|----------------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                    | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक         | : | 883 दिनांक 10.07.2002           |
| (ग) जन्मतिथि                           | : | 15.12.1940                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम            | : | श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि       | : | 15.12.1940                      |
| <b>2. (क) सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि</b> | : | 07.09.1991(मृत्यु)              |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान                | : | 2600-4000                       |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)        | : | 2600-4000                       |
| (घ) वेतन                               | : | 3875/-                          |
| (ङ) मूल पेंशन                          | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग               | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन       | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर         | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर       | : | 652/-                           |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा          | : | 66 छमाही                        |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 71300/- |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 21390/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3135/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/697/01-02

दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रहीम नगर, लखनऊ।

3. श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० बृजेश कुमार श्रीवास्तव, सं०नि० अवर अभियन्ता, एफ- राजाजीपुरम, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ





**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3138 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4746 / 11-12

दिनांक: 04.04.2019

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
आदर्श कोषागार,  
लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी स्व० राम किशोर अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी स्व० राम किशोर अरोरा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | पारिवारिक पेंशन                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4464 दिनांक 09.06.2011          |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 16.10.1946                      |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती दीपा अरोरा              |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 10.10.1949                      |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.10.2004 / 01.08.2011(मृत्यु) |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 10650-15200                     |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 10650-15200                     |
| (घ) वेतन                         | : | 14875/-                         |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | लागू नहीं                       |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | लागू नहीं                       |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | लागू नहीं                       |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                       |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 6694/-                          |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                        |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 11      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 88400/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | लागू नहीं |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं |
| (घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 26520/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3138 / मु०अभि०(हाइड्रिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 4746 / 11-12  
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक: 04.04.2019

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ।

3. श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी स्व० राम किशोर अरोरा, सं०नि० अवर अभियन्ता, 645ए/291, जानकी बिहार, जानकीपुरम, लखनऊ।

4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3057 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2033 / 05-06

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

**विषय:-** कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व० बी०बी०एल० श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्रीमती तारा देवी पत्नी स्व० बी०बी०एल० श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

**1. पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का विवरण**

|                                    |   |                              |
|------------------------------------|---|------------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार                | : | पारिवारिक                    |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक     | : | 2118 दिनांक 09.03.2005       |
| (ग) जन्मतिथि                       | : | 08.07.1946                   |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम        | : | श्रीमती तारा देवी श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि   | : | 14.03.1951                   |
| (क) सेवानिवृत्त / मृत्यु तिथि      | : | 31.07.2004                   |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान            | : | 10650-15200                  |
| (ग) वेतनमान / वेतन बैंड (ग्रेड पे) | : | 10650-15200                  |
| (घ) वेतन                           | : | 13575 / -                    |
| (ङ) मूल पेंशन                      | : | लागू नहीं / -                |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग           | : | लागू नहीं / -                |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन   | : | लागू नहीं / -                |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर     | : | लागू नहीं                    |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर   | : | 4073 / -                     |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा      | : | 66 छमाही                     |

**3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-**

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 11        |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 83300 / - |

**4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-**

|                                                                                                          |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार (50%)                                                   | : | लागू नहीं / - |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं / - |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | लागू नहीं / - |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | लागू नहीं / - |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | लागू नहीं / - |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | लागू नहीं / - |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं     |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 24990 / -     |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं     |

**5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन / पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित / संशोधित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।**

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3057 / मु०अभि०(हाइडिल) / लेखाधिकारी(पेंशन) / 2033 / 05-06 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, केस्को कानपुर।
- श्रीमती तारा देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व० बी०बी०एल० श्रीवास्तव, सं०नि० अवर अभियन्ता, ग्राम-बहया हरदो, पोस्ट-कराथलशुवल, देवरिया।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

राम बहादुर  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
लेखाधिकारी (पेंशन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

लखनऊ

पंजीकृत-  
पंजीकृत-



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

**कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।**

संख्या: 3140/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2096/04-05

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जाहद हुसैन नकवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जाहद हुसैन नकवी, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2342 दिनांक 18.06.2005   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 11.09.1942               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती खुरशीद जहाँ नकवी |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 30.07.1949               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.09.2000               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000              |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000              |
| (घ) वेतन                         | : | 18650/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 9145/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 2110/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 7035/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 5595/-                   |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 135000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(60%)                                                    | : | 67500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 67500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 2110/-    |

|                                                                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये | : | 65390/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                             | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                               | : | 40500/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आधु के अनुसार)                                                               | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3140/मु०अभि०(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2096/04-05 दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशारी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, केरको कानपुर।
3. श्री जाहद हुसैन नकवी, सं०नि० अवर अभियन्ता, 101/49 इनायत मंजिला कर्नलगंज, कानपुर।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--  
पंजीकृत--

[Signature]  
मुख्य अभियन्ता  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
कार्यालय, लखनऊ



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3141/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/2279/05-06

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                 |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 2518 दिनांक 08.11.2005    |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 15.01.1947                |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.03.1952                |
| (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि      | : | 31.01.2005                |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 16400-20000               |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 16400-20000               |
| (घ) वेतन                         | : | 20000+10000=30000/-       |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 14899/-                   |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 3946/-                    |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10953/-                   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9000/-                    |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 66 छमाही                  |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिकेन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० -- दिनांक -- द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 13       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 139100/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 69550/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 65550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 69550/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 3946/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 65604/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 41730/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3141/मु०अभि०(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन-1)/2279/05-06 दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, के०सी कोनपुर।
3. श्री जगदीश नारायण श्रीवास्तव, से०गि० अवर अभियन्ता, श्रीराम जी पुरम मैनावती मार्ग नवाबगंज।
4. सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत--

पंजीकृत--

*(Signature)*  
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०  
लखनऊ



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3142/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4931/12-13

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

विषय:-

कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री शंकर लाल रावत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री शंकर लाल रावत, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4642 दिनांक 25.05.2012   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.07.1951               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती राजू देवी        |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 08.05.1957               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 31.07.2011               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 5400 |
| (घ) वेतन                         | : | 27920 /-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 13960 /-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 5584 /-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 8376 /-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | लागू नहीं                |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 8376 /-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 73400 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 36700 /-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुगम्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 36700 /-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 5584 /-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 31116 /-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | लागू नहीं |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 22020 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

गवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)

संख्या: 3142/मु0अभि0(हाइड्रिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/4931/12-13 दिनांक: 04.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, के०को कानपुर।
- श्री शंकर लाल रावत, से०पि० अवर अभियन्ता, 3/334, आवास विकास, हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राज बहादुर

लेखाधिकारी पेंशन (हाइड्रिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



# कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3143/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5145/13-14

दिनांक: 04.04.2019

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अन्तर्गत श्री राम प्रकाश वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत श्री राम प्रकाश वर्मा, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी०पी०ओ० संख्या एवं दिनांक   | : | 4875 दिनांक 09.04.2013   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 04.06.1952               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती मंसा वर्मा       |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 04.01.1955               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 30.06.2012               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैड(ग्रेड पे)   | : | 9300-34800 ग्रे०पे० 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 32780 /-                 |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 16390 /-                 |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 6556 /-                  |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 9834 /-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 16390 /-                 |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 9834 /-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| (क) पैमेटिक्स      | : | 09       |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 85100 /- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 42550 /-  |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550 /-  |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 42550 /-  |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 6556 /-   |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञाग न लिया जाये         | : | 35994 /-  |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 42550 /-  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 25530 /-  |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3143/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/5145/13-14 दिनांक: 04.04.2019  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, वेब, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, के०के० कानपुर।
- श्री राम प्रकाश वर्मा, से०नि० अवर अभियन्ता, 47, गौतम विहार, कल्याणपुर, कानपुर।
- सचिव, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम प्रकाश वर्मा  
मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
मुख्य अभियन्ता पेंशन (हाइडिल)



**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**  
**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०**

कमरा नं०: ६२६/६२७, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

संख्या: 3062/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6076/14-15

दिनांक: 02.04.19

पंजीकृत

मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,  
जिला कोषागार,  
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 23 दिनांक 13.07.2017 एवं आदेश सं० 31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 444 दिनांक 11.04.2018 के अर्न्तगत श्री अकीलुर्रहमान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त आदेश के अर्न्तगत श्री अकीलुर्रहमान, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता है :-

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

|                                  |   |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| (क) पेंशन का प्रकार              | : | अधिवर्षता                |
| (ख) पी0पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक   | : | 5295 दिनांक 28.01.2015   |
| (ग) जन्मतिथि                     | : | 03.02.1954               |
| (घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम      | : | श्रीमती सुफिया रहमान     |
| (ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि | : | 15.12.1968               |
| 2. (क) सेवानिवृत्त/मृत्यु तिथि   | : | 28.02.2014               |
| (ख) तत्समय लागू वेतनमान          | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (ग) वेतनमान/वेतन बैंड(ग्रेड पे)  | : | 9300-34800 ग्रे0पे0 6600 |
| (घ) वेतन                         | : | 35430/-                  |
| (ङ) मूल पेंशन                    | : | 17715/-                  |
| (च) पेंशन का राशिकृत भाग         | : | 7086/-                   |
| (छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन | : | 10629/-                  |
| (ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर   | : | 17715/-                  |
| (झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर | : | 10629/-                  |
| (ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा    | : | 40 छमाही                 |

3. दिनांक 01.01.2016 को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा विदीक्षित पत्र सं० - दिनांक - द्वारा प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण:-

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| (क) पेमेंटिक्स     | : | 09      |
| (ख) निर्धारित वेतन | : | 93000/- |

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन:-

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार(50%)                                                    | : | 46500/-   |
| (ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में                                                       | : | लागू नहीं |
| (ग) शासनादेश संख्या 14 दिनांक 01.05.2018 के अर्न्तगत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन | : | 26550/-   |
| (घ) उपरोक्त क एवं ग में से जो अधिक लाभप्रद हो दिनांक 01.01.16 से पेंशन अनुमन्य होगी (राशिकरण से पूर्व)   | : | 46500/-   |
| (ङ) राशिकृत पेंशन                                                                                        | : | 7086/-    |
| (च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये         | : | 39414/-   |
| (छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)                                                                     | : | 46500/-   |
| (ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)                                                                       | : | 27900/-   |
| (झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)                                                                       | : | लागू नहीं |

5. कारपोरेशन के आदेश संख्या 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

भवदीय,

लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)

संख्या: 3062/मु0अभि0(हाइडिल)/लेखाधिकारी(पेंशन)/6262/14-15 दिनांक: 02.04.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, विद्युत भुगतान एवं लेखा खण्ड, केरको कानपुर।
3. श्री अकीलुर्रहमान, से०नि० अवर अभियन्ता, एम०जी० 10/8 कं०डी०ए० कालोनी गंगा विहार, जाजमऊ, कानपुर।
4. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत-  
पंजीकृत-

राम बहादुर

लेखाधिकारी (पेंशन)  
लेखाधिकारी पेंशन (हाइडिल)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)  
लखनऊ